भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 325
11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन

***325. डॉ. संजय जायसवाल:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देशभर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को लागू करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत किसी धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता चला है और यदि हां, तो अब तक कितनी धोखाधड़ी का पता चला है और इसके अंतर्गत कितनी राशि वसूल की गई है;
(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत धोखाधड़ी वाले लेन-देन की समस्या से निपटने के लिए किसी धोखाधड़ी-रोधी इकाई का गठन किया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार का एबी-पीएमजेएवाई में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

11 अगस्त, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 325 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

भारत सरकार ने प्रत्येक नागरिक का लोंगिट्यूडीनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) तैयार करने के लिए स्वास्थ्य परितंत्र के भीतर स्वास्थ्य आंकड़ों को अंतर-प्रचालनीय बनाने का एक प्लेटफार्म सृजित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया है।

एबीडीएम के अंतर्गत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा), स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायी रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र रजिस्ट्री (एचएफआर) और औषधि रजिस्ट्री जैसी प्रमुख रजिस्ट्रियां शामिल हैं। एबीडीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, समावेशी, सुगम और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

8 अगस्त, 2023 तक, कुल 44,19,86,761 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (आभा) का सृजन किया गया है; 2,15,250 स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों को एचएफआर पर पंजीकृत किया गया है; 2,13,784 स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों को एचपीआर पर पंजीकृत किया गया है और 29,28,29,789 स्वास्थ्य रिकॉर्डों को आभा से जोड़ा गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्कीम 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक निर्धन और कमजोर परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अस्पताल-भर्ती हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है।

5 अगस्त, 2023 तक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा 278 करोड़ रुपए मूल्य के 1.6 लाख दावों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है। एनएचए या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएचए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 210 अस्पतालों को पैनल से बाहर किया गया है और 188 अस्पतालों को निलंबित किया गया है। 20.71 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई गई है जिसमें से 9.5 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत होने वाली धोखाधड़ी और इसके दुरुपयोग की रोकथाम, इनका पता लगाना और इनके निवारण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) की स्थापना की है। इस स्कीम के तहत धोखाधड़ी-रोधी ढांचे में केंद्रीय स्तर पर एनएएफयू तथा इसके बाद राज्य स्तर पर राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाइयां (एसएएफयू) हैं।

एनएचए एबी-पीएमजेएवाई के तहत संदिग्ध लेनदेनों/ संभावित धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग स्कीम के कार्यान्वयन में स्वास्थ्य परिचर्या की धोखाधड़ियों की रोकथाम, इनका पता लगाना और इनके निवारण के लिए किया जाता है और ये प्रौद्योगिकियां पात्र लाभार्थियों को उपयुक्त उपचार सुनिश्चित करने में मददगार हैं।

*****